480 दिन के लम्बे इन्तजार के बाद भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा

पुराने कार्यकर्ताओं के स्थान पर नए लोगों को मिली जगह

-कार्यालय संवाददाता-

- कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहकोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, आईटी व सोशल मीडिया प्रभारी सहित कार्यालय सचिव बनाए गए हैं।
- इस कार्यकारिणी में दो विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि मुख्य टीम में विधायक और सांसदों को शामिल नहीं किया है।

जयपुर। प्रदेश भाजपा ने लम्बे इन्जार के बाद अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बनने के 480 दिन बाद प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा की गई । इस कार्यकारिणी में कुल 34 नाम शामिल हैं।

कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहकोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, आईटी व सोशल मीडिया प्रभारी सहित कार्यालय सचिव की घोषणा की गई है। इस कार्यकारिणी में दो विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है जबकि मुख्य टीम में विधायक व सांसदो को शामिल नही किया है। इससे ऐसा माना जा रहा है कि विधायक और सांसदों को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दी जाएगी, जबकि प्रदेश की कार्यकारिणी में भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। हालांकि पिछली कार्यकारिणी में सांसद और विधायकों को प्रदेश टीम में शामिल किया गया था। प्रदेश भाजपा की इस नई टीम में वरिष्ठ लोगों को दरकिनार करके नए लोगों को शामिल किया है।

इस कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित तीनो केंद्रीय मन्त्रियों सहित कुछ संघ से जुड़े लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया है।

मदन राठौड़ की प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए है। पहले 10 उपाध्यक्ष काम कर रहे थे। उपाध्यक्ष में 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। जिनमे पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी, बिहारीलाल विश्नोई, छगन माहुर, हकरू माईडा, अल्का मुन्दड़ा और सरिता गेना उपाध्यक्ष के रूप में नए चेहरे शामिल किए गए हैं। वही नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, डॉ. ज्योति मिर्धा को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह मौजूदा कार्यकारिणी मे भी उपाध्यक्ष थे।

इसके साथ ही विधायक (तिजारा) बाबा बालकनाथ, सरदार अजयपाल सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद सीआर पाटिल और मोतीलाल मीणा को कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है।

मदन राठौड़ ने अपनी टीम में महामंत्रियों की संख्या भी कम की है। मौजूदा कार्यकारिणी में 5 महामंत्री काम कर रहे थे। नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री बनाए गए हैं।

इनमें भी पिछली कार्यकारिणी के महामंत्रियों में से केवल एक को रिपीट किया गया है। ये श्रवण सिंह बगड़ी हैं। चार को बाहर कर दिया गया है।

इनके अलावा कैलाश मेघवाल, भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम को महामंत्री बनाया गया है। विधायक जितेन्द्र गोठवाल, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा को बाहर किया गया है।नई टीम में मौजूदा टीम में काम कर रहे नेताओं में कुछ को प्रमोट भी किया गया है।

मौजूदा कार्यकारिणी में मंत्री रहे भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम को प्रमोट करके महामंत्री बनाया गया है।

एससी मोर्चे के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को प्रमोट करके प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा, ओबीसी मोर्चा की टीम से सीताराम पोसवाल को प्रदेश मंत्री बनाकर प्रमोट करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी में मंत्री बनाया गया है।

भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से मुलाक़ात

जयपुर। प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने गुरूवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएमओ में मुलाक़ात की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इन पदाधिकारियों में प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, मिथलेश गौतम एवं प्रदेश मंत्री अजीत मांडण, अपूर्वा सिंह ,एकता अग्रवाल, नारायण मीणा, प्रवक्ता स्टेफ़ी चौहान एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक सम्मिलित थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी पदाधिकारियों से पार्टी को बूथ स्तर पर मज़बूती लेने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार की शानदार योजनाओं को लाभार्थियों और आमजन तक पहुंचाएं और इसकी कार्ययोजना बनाए। करीब 45मिनट की मुलाक़ात में मुख्यमंत्री ने सभी को मिठाई खिलाकर बधाई दी। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से नियुक्त हुए पदाधिकारियों को आम कार्यकर्ता एवं आम जनता के बीच में रहने की सलाह भी दी।

लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर जवाब मांगा

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती में लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज कुमार सैन की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिएयाचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 1

भिवाड़ी में 32 और हनुमानगढ़ में 160 फ्लैट्स बनाएगा राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड

आवासन मंडल के सभी रिकॉर्ड तत्काल डिजिटलाइज़ करें : देबाशीष पृष्टि

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड दिसंबर माह में अरावली विहार, भिवाड़ी में 32 और डीटीओ, हनुमानगढ़ में 160 फ्लैट्स की आवासीय योजना लाएगा। इसके साथ ही जयपुर के सेक्टर-22 प्रताप नगर में भी सामुदायिक केंद्र बनाया जायेगा।

- जयपुर के प्रताप नगर-सेक्टर 22 में भी सामुदायिक केन्द्र बनाने का निर्णय हुआ

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं हाऊसिंग बोर्ड अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने गुरूवार को परियोजना समिति की 175वीं बैठक ली।

इसकी जानकारी नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं हाऊसिंग बोर्ड अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने दी है। उन्होंने गुरूवार को जयपुर स्थित आवासन मंडल मुख्यालय में परियोजना समिति की 175वीं बैठक ली, जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए।

मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने अफसरों को निर्देश दिए कि, राजस्थान आवासन मंडल के सभी अभिलेखों को चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः डिजिटाइज करें। उन्होंने कहा कि पुराने रिकॉर्ड से लेकर वर्तमान योजनाओं से जुड़े सभी दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में सुरक्षित किया जाए, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़े, अभिलेखों की खोज और सत्यापन में सरलता आए तथा सभी विभागीय गतिविधियों की गति में भी तेजी आए। डिजिटाइजेशन से भविष्य में किसी भी प्रकार की रिकॉर्ड संबंधी विसंगतियों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी और मंडल की कार्यशैली और अधिक सुचारु एवं तकनीक-आधारित बनेगी।

बैठक में अरावली विहार योजना, भिवाड़ी में उच्च आय वर्ग (जी प्लस8) के 32 फ्लैट्स की आवासीय योजना लाने का निर्णय लिया गया। इस स्कीम से अलवर, भिवाड़ी, तिजारा एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के आवासीय विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार मण्डल की डीटीओ हनुमानगढ़ योजना में मध्यम आय वर्ग- के 160 फ्लैट्स के लिए भी मण्डल अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं समीपस्थ क्षेत्रों के मध्यम आय वर्ग के लोगों को आधुनिक फ्लैट उपलब्ध हो सकेगा। यह दोनों योजनाओं के लिए पंजीकरण दिसंबर माह में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही सेक्टर-22 प्रताप नगर, जयपुर में प्रस्तावित सामुदायिक केंद्र के निर्माण को भी अनुमोदित किया गया, जिससे योजना के आवंटियों सहित आमजन को एक महत्वपूर्ण सामुदायिक सुविधा उपलब्ध होगी। यह केंद्र प्रताप नगर एवं आसपास के क्षेत्रों के सभी आय वर्ग के निवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसका निर्माण कार्य जनवरी माह में शुरू किया जाएगा । परियोजना समिति की सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रिंकू बंसल ने मानचित्रों के माध्यम से सभी योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया और संबंधित जानकारियां साझा की। बैठक में मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, प्रतीक श्रीवास्तव, टी.एस. मीणा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रिंकू बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पाक निवासी नकली नोट तस्कर को कारावास

जयपुर । एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पाकिस्तान से नकली भारतीय मुद्रा लाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले पाक निवासी अभियुक्त रान सिंह को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग से रिटायर इस अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक तेज प्रकाश ने बताया कि लैंड कस्टम स्टेशन, मुनाबाव, बाड़मेर के अधिकारियों से गोपनीय सूचना पर 16 मार्च, 2019 को थार लिंक एक्सप्रेस से भारत आते अभियुक्त को पकड़ा था। टीम को उसके कब्जे से 94 हजार रुपए के भारतीय नकली नोट मिले। वहीं टीम ने उससे एक मोबाइल व 2600 रुपए की पाकिस्तानी मुद्रा भी बरामद की। इस पर उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि अभियुक्त 2015 में पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुआ था। इसके बाद वह अपने परिवार सहित टर्म वीजा पर आकर मोरबी में रहने लगा। इस दौरान ही अभियुक्त ने भारत थार लिंक एक्सप्रेस का उपयोग षड्यंत्र रचते हुए पाकिस्तान से भारत देश में नकली नोट लाने के लिए किया। पाकिस्तान में अभियुक्त दूसरे आरोपी कूपजी से मिला और उसने अभियुक्त को भारतीय नकली मुद्रा दी। जांच के बाद एनआईए ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। मामले में आरोपी कूपजी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हैं और वह पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा है।

बर्खास्तगी के खिलाफ विभागीय अपील 14 साल लंबित रखना दुखद

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी के बर्खास्तगी आदेश की विभागीय अपील को 14 साल में भी तय नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने जेवीवीएनएल को कहा है कि वह एक माह में अपील का निस्तारण करे। वहीं अदालत ने जेवीवीएनएल पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए दो सप्ताह में हर्जाना राशि याचिकाकर्ता को अदा करने को कहा है।

तीन साल वाले बीपीएड कोर्स को करने वाले पीटीआई भर्ती के लिए पात्र

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती-2018 से जुडे मामले में उन अभ्यर्थियों को भी पात्र माना है, जिन्होंने तीन साल वाला बीपीएड कोर्स कर रखा है।

इसके साथ ही अदालत ने मामले में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए अपीलार्थियों को दो माह में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विमला देवी व 6 अन्य अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।अपील में अधिवक्ता आरडी मीणा और अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने साल 2018 में पीटीआई तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता मेरिट में आए थे, लेकिन उन्हें एक साल के बजाए तीन साल का बीपीएड योग्यता रखने के आधार पर चयन से बाहर कर दिया था। इस पर एकलपीठ में याचिका दायर की गई थी। जिसे एकलपीठ ने 2013 में खंडपीठ की ओर से दिए एक आदेश का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि साल 2014 में एनसीटीई ने एक परिपत्र जारी कर पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए तीन साल के बीपीएड पाठ्यक्रम करने वालों को भी पात्र माना है। इस परिपत्र में राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर संशोधन नहीं किया है और यह वर्तमान में भी प्रभावी है। अपील में कहा गया कि एनसीटीई शैक्षिणक पाठ्यक्रम तय करने की विशेषज्ञ और सर्वोच्च संस्था है। इसके अलावा एकलपीठ में सुनवाई के समय एनसीटीई ने अपने जवाब में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए पात्र माना था। ऐसे में उन्हें पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती-2018 में नियुक्ति दी जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 में तीन साल वाले बीपीएड योग्यता वालों को पीटीआई ग्रेड 3 के लिए पात्र नहीं माना गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर अपीलार्थियों को समस्त परिलाभ सहित दो माह में नियुक्ति देने को कहा है।

कांस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भिवाडी टीम ने पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली-बहरोड के पुलिस कांस्टेबल प्रवीण बागोरिया को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी भिवाडी टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके भाई का पुत्र व पुत्री नांगल चौधरी से घर आ रहे थे। तब उनके आगे चल रही अन्य गाड़ी को ओवरटेक करते समय उसके खरोंच आ गई।

"सहकार गैलेरी" में दिखेगी सहकारी आंदोलन यात्रा की आकर्षक झलक

जयपुर (कासं)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने गुरुवार को राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान (राइसेम) परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत स्थापित की गई सहकार गैलेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने गैलेरी का अवलोकन कर प्रदर्शित की गई जानकारी की सराहना की। सहकारिता विभाग द्वारा एनसीसीएफ के सहयोग से स्थापित की गई सहकार गैलेरी में सहकारी आन्दोलन की यात्रा को आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया है।

- सहकारी आन्दोलन की गौरवशाली यात्रा और उपलब्धियों को आकर्षक रूप में किया गया प्रदर्शित

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकार गैलेरी का उद्घाटन करने के बाद इसका अवलोकन किया।

दक ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता की गौरवशाली यात्रा को दर्शाती यह गैलेरी आगन्तुकों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनेगी। यहां प्रदर्शित सामग्री न केवल सहकारिता के इतिहास, उपलब्धियों और नवाचारों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे छोटे-छोटे सामूहिक प्रयासों से बड़े सामाजिक परिवर्तन संभव हैं। सहकार गैलेरी में सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को क्लिप बोर्ड्स, एक्रेलिक शीट्स, विनायल प्रिन्ट, फोटो फ्रेम्स एवं डिजिटल स्क्रीन्स के माध्यम से आकर्षक रूप में राजस्थानी संस्कृति की थीम पर प्रदर्शित किया गया है। गैलेरी के एक भाग में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का परिचय एवं सिद्धान्त, सहकारिता के सिद्धान्त एवं उद्देश्य तथा विशिष्ट व्यक्तियों के उद्धरणों को प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह अन्य एक भाग में सहकारिता के उद्भव एवं विकास से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की गई है, जिसमें प्राचीन भारतीय लोकाचार में सहकारिता के बीज, विश्व में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, भारत में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात् सहकारी विधि का विकास की जानकारी शामिल है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-12/2025/ दिनांक : 27.11.2025

आवेदक श्री अमित भगेरिया पुत्र श्री बृजकिशोर भगेरिया द्वारा ग्राम नीदड तहसील आमेर के खसरा नं. 736/1, 736/2 में जारी पैट्रोल पम्प विस्तार (क्षेत्रफल 398.36 वर्गमीटर व प्लान्टेशन कॉरिडोर 890.15 वर्गमीटर) के स्थान पर वाणिज्यिक में भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 एवं भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.11.2024 के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन पैट्रोल पम्प विस्तार (क्षेत्रफल 398.36 वर्गमीटर व प्लान्टेशन कॉरिडोर 890.15 वर्गमीटर) के स्थान पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। पैट्रोल पम्प विस्तार के स्थान पर उक्त भूखंड का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उक्त आवेदन / भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय जोन-12, जविप्रा में अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नही होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी सूचित रहे। यह विज्ञप्ति आज दिनांक 27.11.2025 को जारी की गई है।

उपायुक्त जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय

जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853

क्रमांक-4517 दिनांक-20/11/25

आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-14/एच/308 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 128.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री नरेश राय पुत्र स्व. श्री श्याम सुन्दर को किया गया था। जिसका आंवटन पत्र क्रमांक 811 दिनांक 25.04.2011 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर अष्टम में दिनांक 17.11.2016 को करवाया गया। श्री नरेश राय पुत्र स्व. श्री श्याम सुन्दर के द्वारा उक्त आवास का मृत्युपरान्तनामाआम श्री राम सिंह यादव पुत्र श्री विशाल सिंह यादव को नियुक्त कर, मृत्युपरान्तनामाआम का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 17/11/2016 को करवाया गया। तत्पश्चात मृत्युपरान्तनामाआम धारक श्री राम सिंह यादव पुत्र श्री विशाल सिंह यादव के द्वारा आवास का बेचान उरीये विक्रय पत्र के श्रीमती सन्तोष चौधरी पत्नी श्री पन्ना लाल भादु को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम् में दिनांक 10/05/2017 को करवाया गया। श्रीमती सन्तोष चौधरी पत्नी श्री पन्ना लाल भादु के द्वारा आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम केती का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती सन्तोष चौधरी पत्नी श्री पन्ना लाल भादु का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त तृतीय, रा.आ.म. जयपुर

आम सूचना यह सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दो संपत्तियाँ प्लॉट नंबर A-9(2) तथा प्लॉट नंबर A-9(1), योजना "मधुबन कॉलोनी" स्थित नाका मदार, ग्राम अजमेर, तहसील अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित हैं, जिनके स्वामी धर्मेंद्र जैन पुत्र स्व. महेंद्र कुमार जैन हैं। उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में प्रारम्भ में पत्र संख्या 9899 दिनांक 16.12.1971 निर्माण कार्य संबंधी) जारी हुआ तथा उसके बाद पत्र संख्या 9898 शहरी सुधार न्यास, अजमेर द्वारा जनार्दन प्रसाद शर्मा के पक्ष में दिनांक 16.12.1971 को जारी किया गया। इसके पश्चात आदेश संख्या 987 शहरी सुधार न्यास, अजमेर द्वारा जनार्दन प्रसाद शर्मा के पक्ष में दिनांक 10.10.1994 को जारी किया गया। तत्पश्चात लीज छूट प्रमाण पत्र शहरी सुधार न्यास, अजमेर द्वारा जनार्दन प्रसाद शर्मा के पक्ष में दिनांक 10.10.1994 को जारी किया गया। इसके बाद आवेदन संख्या 15244 शहरी सुधार न्यास, अजमेर द्वारा दिनांक 13.01.1995 को जारी किया गया। इसके पश्चात विक्रय पत्र (सेल डीड) जनार्दन प्रसाद शर्मा पुत्र बनमाली प्रसाद शर्मा द्वारा महेंद्र कुमार जैन पुत्र जय कुमार जैन के पक्ष में दिनांक 18.03.1995 को निष्पादित किया गया। जिसका पंजीकरण दिनांक 02.05.1995 को उप-पंजीयक कार्यालय अजमेर में किया गया। उपर्युक्त सभी दस्तावेज अर्थात् उपर्युक्त पत्र एवं दिनांक 02.05.1995 को पंजीकृत विक्रय पत्र गुम हो गए हैं, जिनके संबंध में यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा रही है। आगे, महेंद्र कुमार जैन पुत्र स्व. जय कुमार जैन का दिनांक 17.06.2009 को देहांत हो गया तथा उपरोक्त संपत्तियाँ उनके कानूनी वारिसों के कब्जे में चली गईं। इसके उपरांत कुसुम जैन पत्नी स्व. महेंद्र कुमार जैन का दिनांक 03.01.2016 को देहांत हो गया। इसके बाद व्यापार (रिलीज डीड) रेणा जैन पत्नी अतुल कुमार जैन (पुत्री स्व. महेंद्र कुमार जैन), पिंकी जैन पत्नी सजल जैन (पुत्री स्व. महेंद्र कुमार जैन), मीनाक्षी जैन पत्नी आशु जैन (पुत्री स्व. महेंद्र कुमार जैन), निकेशी जैन पत्नी अमित जैन (पुत्री स्व. महेंद्र कुमार जैन) तथा शिल्पी जैन पत्नी मनीष जैन (पुत्री स्व. महेंद्र कुमार जैन) द्वारा धर्मेंद्र जैन पुत्र स्व. महेंद्र कुमार जैन के पक्ष में दिनांक 06.02.2020 को निष्पादित किया गया, जिसका पंजीकरण 06.02.2020 को उप-पंजीयक कार्यालय अजमेर-1 में (प्लॉट नंबर A-9(2) हेतु) किया गया। इसके आधार पर नामांतरण पत्र संख्या 2020-21/544 नगर निगम अजमेर द्वारा धर्मेंद्र जैन पुत्र महेंद्र कुमार जैन के पक्ष में दिनांक 30.09.2020 को जारी किया गया (प्लॉट नंबर A-9(2) हेतु)। इसी प्रकार, उपरोक्त सभी वारिसों द्वारा धर्मेंद्र जैन पुत्र स्व. महेंद्र कुमार जैन के पक्ष में व्यापगम दिनांक 06.02.2020 निष्पादित किया गया, जिसका पंजीकरण 06.02.2020 को उप-पंजीयक कार्यालय अजमेर-1 में (प्लॉट नंबर A-9(1) हेतु) किया गया। इसके आधार पर नामांतरण पत्र संख्या 2020-21/546 नगर निगम अजमेर द्वारा धर्मेंद्र जैन पुत्र महेंद्र कुमार जैन के पक्ष में दिनांक 30.09.2020 को जारी किया गया (प्लॉट नंबर A-9 (1) हेतु)। जो उक्त संपत्ति की क्रय-विक्रय के लिए **ADITYA BIRLA CAPITAL** बैंक से ऋण प्राप्त कर रही हैं। अतः यदि किसी व्यक्ति को इस संपत्ति पर किसी प्रकार का स्वामित्व, अधिकार, बंधक, या आपत्ति का दावा हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपने प्रमाणिक दस्तावेजों सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि संपत्ति पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है और क्रेता को उक्त संपत्ति पर निर्बाध स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होगा।

मुकुंद पंचारिया (एडवोकेट)

दिनांक : 27.11.2025 मो. 7793033590, 9829290229

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल केसर राम गोदारा पुत्र स्व श्री पूरणाराम गोदारा एवं उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि केसर राम गोदारा निवासी ग्राम बछरारा पोस्ट देवीदासपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला गंगानगर राजस्थान हाल निवासी प्लॉट नंबर 202-203, नेमी नगर विस्तार, आम्रपाली रोड़ वैशाली नगर, जयपुर का रहने वाला हूँ तथा मै एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति हूँ मेरे पौत्र 1. जयदीप गोदारा 2. रायभान गोदारा उर्फ अर्जुन आये दिन के होने वाले लड़ाई झगडें, व्यवहार व आचरण से पीड़ित है तथा वह हमारे कहेनुसार नहीं चल रहे है संपत्ति को लेकर उन्होंने मेरे मुवक्किल का जीना दुश्वार किया हुआ है तथा ये लोग मेरे मुवक्किल को बहुत ज्यादा दुःखी करते है। इसलिए मेरे मुवक्किल इन्हें अपनी चल व अचल संपत्ति व विधिक अधिकारों से बेदखल कर दिया गया है। मेरे मुवक्किल की चल व अचल संपत्ति में इनका कोई हक नहीं है यदि कोई व्यक्ति या संस्था इनसे संपत्ति बाबत इनसे किसी प्रकार का कोई लेन, देन या व्यवहार करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे मुवक्किल की नहीं होगी।

जयपुर (मोहम्मद रूमान खान) एडवोकेट

दिनांक:27/11/2025 मो.नं. 9309300000

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरे राजस्थान आवासन मंडल के मकान नंबर 12/296 मालवीय नगर जयपुर का मूल अलॉटमेंट कहीं खो गया है मिलने पर सम्पर्क करें - जितेन्द्र शर्मा, 6371201595

नाम परिवर्तन

मैने सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम राजेश कुमार सुरोलिया से बदलकर राजेश सुरोलिया रख लिया है, R/o T-10 शांति पथ संजय कॉलोनी गली नंबर 6 नेहरू नगर शास्त्री नगर जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 558/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्रीमती शशि प्रभा निवासी प्लॉट नं. 200, पी.टी.टी.एन. मिश्रा मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत सेन्ट्रल एकेडमी एजुकेशनल सोसायटी, गोरखपुर कार्यालय पता-प्लॉट नं. 200, पी.टी.टी.एन. मिश्रा मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखाने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जाच ठासित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 25/11/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 29/1/26

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 560/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री हिमांशी गहलोत निवासी 49, सिविल लाइन्स जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत हन्वेटिव हैल्पिंग हैण्ड सोसाइटी कार्यालय पता-576 सेक्टर 9 ई, चित्रकूट योजना, वैशाली नगर, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त